न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी **श्री मोहम्मद ताहीर** R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
37/दावा/2017	26.05.2017	11.10.2019

1. कन्हैया लाल आ0 मोडू जाति काछी निवासी ग्राम बक्षपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. भैरू लाल आ0 भंवर लाल काछी निवासी ग्राम बक्षपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

......**वादीगण**

बनाम

1. हीरा आ0 मोडू जाति काछी निवासी ग्राम बक्षपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. हरदेव आ0 आ0 मोडू जाति काछी निवासी ग्राम बक्षपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. राजस्थान सरकर जर्ये सब रजिस्ट्रार महोदय, तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी (राज0)

...**प्रतिवादीगण**

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री अनन्त शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है किः–

1. यह कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के शामलाती खाता संख्या 95 खसरा संख्या 559 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 761/251 रकबा 2 बीघा बरानी किता 2 कुल रकबा 6 बीघा लगानी 11 /– रूपये 60 नये पैसे वाके ग्राम बक्षपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी मे स्थित है। जिसमे वादीगण का 1/6 हिस्सा व 5/6 हिस्सा प्रतिवादीगण का निहित है। जिसका विभाजन करवाने के अधिकारी है।
2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि मे से खसरा संख्या 761/251 रकबा 2 बीघा सम्पूर्ण भूमि को बैचान करके प्रतिवादी सं0 3 के समक्ष रजिस्ट्री करवाने पर उतारू है। जबकि प्रतिवादीगण का इतना हिस्सा नहीं है।
3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भूमि बैचान करके वादीगण को अपने हिस्से से महरूम रखना चाहते है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दौराने मुकदमा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना अनिवार्य हो गया है।
4. यह कि वादीगण को खारजन मुजिश्ता रात्री तारीख 17–05–2017 को ही जानकारी मिली है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भूमि को बैचान करके वादीगण को नुकसान पहुचाना चाहते है।
5. यह कि वाद कारण तारीख 17–05–2017 को वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के विरूद्ध उत्पन्न हुआ है।
6. यह कि पक्षाकारान ग्राम बक्षपुरा के रहने वाले है। व भूमि भी बक्षपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी मे स्थित होने से इस अदालत के समाअत अधिकार का राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डर होने से दावे के पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है। किन्तु दावा मे स्थगन आदेश प्राप्त करना है। इसलिये धारा 80(2) जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है।
7. यह कि दावा वाजिब कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

8. यह कि उक्त वाद के श्रवणाधिकार आदरणीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि का विभाजन किया जावे व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह भूमि खसरा संख्या 761 /251 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम बक्षपुरा को किसी अन्य को बैचान ,रहन या किसी अन्य प्रकार से अन्तरण नही करे और प्रतिवादी सं0 3 उक्त भुमि की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम नही करे तथा प्रतिवादी सं0 4 उक्त भूमि का नामान्तरकरण किसी भी व्यक्ति के नाम नही खोले जाने हेतु डिक्री प्रदान फरमावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से कोई जवाब दावा पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 95 ग्राम बक्षपुरा संवत् 2070–73 की प्रति पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 95 ग्राम बक्षपुरा संवत् 2070–73 में नन्दलाल, भैरू लाल आ0 भंवर लाल, सुगना, राजकरन्ता पुत्रिया भंवर लाल, पन्नी बाई बैवा भंवर लाल हि0 1/6, कन्हैया लाल, देवा, हीरा, हरदेवा पिता मोडू मु0 खानी बैवा मोडू हि0 5/6 कौम काछी सा0 देह खाते दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगा0 2 सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है किन्तु उक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से नन्दलाल आ0 भंवरलाल, सुगना, राजकरन्ता पुत्री भंवर लाल, पन्नी बाई बैवा भंवर लाल, देवा पि0 मोडू, मु0 खानी बैवा मोडू सभी खातेदारान को वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया है जिससे कि उनके निहित हिस्से का निर्धारण किस प्रकार किया जाना है यह भी स्पष्ट नही होता है। अतः वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार नही बनाये जाने से वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी तालेडा

Scanned by CamScanner